


113

न्यायालय श्री मानू राजस्व मण्डल मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रोवा मण्डल  
R 301-



R 5539 II/16-

- 1- अम्बर प्रसाद तय स्व० बृजमान राम ब्रा०
- 2- शिवमूर्ति प्रसाद तय स्व० बृजमान राम ब्रा०
- 3- माकामा प्रसाद तय स्व० बृजमानराम ब्रा०

अधि० श्री महेशदास प्रसाद सनी निवासी ग्राम पिपरवार तहसील मगवा जिला रोवा मण्डल  
 दाता ५०८८८/२२-१२-१६

जज श्री जगजिहिर प्रसाद  
 जज श्री शोधमणि  
 (सर्किट कोर्ट) रोवा

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
|    | विस्द्व                                    |                                   |
| 1- | जगजिहिर प्रसाद                             |                                   |
| 2- | शोधमणि                                     | पुत्र गण स्व० श्री कृष्ण ब्राम्हण |
| 3- | रामरेश                                     |                                   |
| 4- | दिनेश चन्द                                 |                                   |
| 5- | मुसो श्रद्धा बेवा पत्नी स्व० सुरेश पाण्डेय |                                   |
| 6- | विश्व                                      | दोनो पुत्र गण स्व० सुरेश पाण्डेय  |
| 7- | गौरव                                       |                                   |

सनी निवासी ग्राम पिपरवार तहसील मगवा जिला रोवा मण्डल  
 ..... अमीलार्थी गण

निगरानी विस्द्व आदेश अमर आयुक्त रोवा संभाग  
 रोवा दिनांक 5.11.2016 ई० जो कि रा.प.क्र.  
 112/अमील /16-17 मे पारित किया गया है ।  
 और जिसके द्वारा अमीलार्थी गण की अमील निरस्त  
 की गई है, अर्तगत धारा 50 मण्डल नू. रा.

W

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5539-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-2017	<p>आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 112/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 5-11-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि जब आवेदक के तर्क सुने के बाद प्रकरण दिनांक 13-4-15 को नियत कर आदेश पारित किया गया था तथा जानकारी होने के बाद अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इसी कारण अपर आयुक्त आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर ही अपील खारिज की है। विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाने पर ही उसे माफ किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(एस०एस० अली) सदस्य</p>